न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 527/2016

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. नानक सिंह पुत्र करतार सिंह जाति बावरी निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरनाम कौर पत्नी करतार सिंह जाति बावरी निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर।	1. नीरज कुमार पुत्र छिन्द्रपाल सिंह जाति रामदासिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 2. सन्त राम पुत्र छोटू उर्फ कृपाल सिंह जाति बावरी निवासी चक 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 3. मलकीत कौर पत्नी छिन्द्रपाल सिंह जाति रामदासिया निवासी 1 एक्स तहसील श्रीकरणपुर। 4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 15.07.2016

उपस्थित: 1.श्री युधिष्टर सिंह सैनी व रामदास सौंलकी, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.श्री योगेश बंसल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ता 3

--निर्णय-- दिनांक: 15.03.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 13 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 13/13 के मुरब्बा नम्बर 40, 59/18 की कुल 6.274 हैक्टेयर नहरी भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता की भूमि में खातेदारान के मध्य आज से 30-35 वर्ष पूर्व में आपस में घरू मौखिक बंटवारानामा हो चुका है। घरू मौखिक बंटवारा के अनुसार मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 5 के 0.101 हैक्टेयर, 6 के 0.228 हैक्टेयर, 13 व 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, 21, 22 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, 23, 24 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर, 25 के 0.092 हैक्टेयर कुल 1.837 हैक्टेयर नहरी रकबा एंव मुरब्बा नम्बर 59/18 के किला नम्बर 0 के 0.177 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला यानि कुल क्षेत्रफल 2.014 हैक्टेयर नहरी रकबा प्रार्थीगण के हिस्सा में आया था और प्रार्थीगण घरू मौखिक बंटवारा के मुताबिक उक्त रकबा पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है और प्रार्थीगण द्वारा ही उक्त किलाजात पर फसल काश्त की हुई है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि को समतल करके तथा गोबर की खाद आदि का प्रयोग करके व भूमि में फसल चक्र को अपनाते हुये उक्त भूमि को बंजर से उपजाउ भूमि के रूप में तैयार की गई है। उक्त भूमि की वर्तमान में भी सार संभाल प्रार्थीगण द्वारा ही की जा रही है। उक्त भूमि उपजाउ होने व अच्छी होने के कारण अप्रार्थीगण के मन में लालच पैदा हो गया है। इसलिए अप्रार्थीगण उक्त मुश्तर्का खाता की भूमि होने का फायदा उठाते हुए हमेशा ही अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है। यदि अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो प्रार्थीगण को ना पूरा हो सकने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ला पाने के अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश करके अर्ज है कि अर्थीगण तथा अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार जारी की जावे कि चक 13 एस ए के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 5 के 0.101 हैक्टेयर, 6 के 0.228 हैक्टेयर, 13 व 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, 21, 22 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, 23, 24 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर, 25 के 0.092 हैक्टेयर कुल 1.837 हैक्टेयर नहरी रकबा एंव मुरब्बा नम्बर 59/18 के किला नम्बर 0 के 0.177 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला यानि कुल क्षेत्रफल 2.014 हैक्टेयर नहरी रकबा पर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण स्वंय दखल अंदाजी करने या किसी अन्य व्यक्ति से दखलअंदाजी करवाने से बाज व ममनू रहे तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश बंसल उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 (2) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया जाकर वादी को 1000 रुपए की जुर्माना राशि पर कायम मुकाम के लिए एक ही अवसर दिया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा कायम मुकाम पेश नहीं करने पर वादी संख्या 1 नानक सिंह की हद तक प्रार्थना पत्र/ दावा अबेट किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना। उस पर मनन किया, गौर किया। प्रार्थना पत्र, प्रार्थी एंव संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन कर हम प्रकरण को निम्न 3 बिन्दुओं के आधार पर निर्णीत करना विधिसंगत समझते है:-

1.प्रथम दृष्टया मामला:- इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाए, क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुतः दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वाद ग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त हैं। चूंकि चक 13 एस ए के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 5 के 0.101 हैक्टेयर, 6 के 0.228 हैक्टेयर, 13 व 14 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, 21, 22 प्रत्येक 0.228 हैक्टेयर, 23, 24 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर, 25 के 0.092 हैक्टेयर कुल 1.837 हैक्टेयर नहरी रकबा एंव मुरब्बा नम्बर 59/18 के किला नम्बर 0 के 0.177 हैक्टेयर गैर मुमकिन खाला यानि कुल क्षेत्रफल 2.014 हैक्टेयर नहरी भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चूकिं प्रार्थीगण स्वंय अभिलिखित खातेदार काश्तकार है, तथा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन का दावा हाजा न्यायालय में जेरकार है। प्रार्थी संख्या 2 के हक हिस्से तक दावा डिक्री होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रथम दृष्टया मामला अपने-अपने हक हिस्से तक प्रार्थी संख्या 1 का साबित होता है।

2.सुविधा का संतुलन:- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का संतुलन एक आवश्यक एंव महत्वपूर्ण घटक है, इसका सामान्य तात्पर्य है कि यानि हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया तो प्रार्थी/वादी को अधिकतम असुविधा होगी । चूकिं भू-अभिलेखों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सहखातेदारी की अविभाजित आराजी है। जिसमें प्रार्थी संख्या 2 का कुल आराजी 6.274 हैक्टर में से 0.253 हैक्टर हिस्सा है, और यह मान्य सिद्धान्त है कि जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा नहीं हो जाता है तब तक सहखातेदारी भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर अपने हिस्से तक कब्जा माना जाता है, तथा वह उसके उपयोग एंव उपभोग में होता है। इसलिए सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी/वादी के पक्ष साबित होता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

3.अपूरणीय क्षति:- चूंकि पूर्व विवेचित दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष के साबित हो चुके है। तथा साथ ही प्रार्थी द्वारा शपथपत्र पर यह कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान/हस्तान्तरण किया जा सकता है। और इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता और अगर ऐसा होता है तो प्रकरण के सम्यक निर्णयन में जटिलता अवश्यंभावी आयेगी। क्योंकि बेचान/हस्तान्तरण होने से नये खातेदार जुडेगें, वाद में नये पक्षकार संयोजित होगें। मौके की स्थिति में बदलाव हो सकता है। इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स वादपत्र को निर्धारित करने में जटिलता हो सकती है। इसलिए वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखा जाना प्रकरण के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसका प्रभाव प्रार्थी को होने की प्रबल आशंका है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार के रिकॉर्ड में परिवर्तन करने से वादी/प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र के आलोक में अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी/वादी के पक्ष में साबित होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित होने के कारण मूलवाद का निपटारा होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी/वादी अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी संख्या 2 विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि चक 13 एस ए की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 13/13 की कुल 6.274 हैक्टर नहरी मय खाला भूमि में विशिष्ट किलावाईज बेचान/हस्तान्तरण नहीं करे। अपना हिस्सा बेचने पर रोक नहीं होगी। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 15.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)